संख्या– 191 /21–1–2008–सा–1(4)/98 टी0सी0

प्रेषक,

अशोक घोष,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन ।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 ।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0 ।
(4) समस्त निगमों/परिषदों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 ।

भाषा अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक, 7 अक्टूबर, 2008

विषयः–सरकारी कार्यों में कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु द्वितीय राजभाषा उर्दू का प्रयोग ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–462/21–1–2008–सा–1(41)/98 टी0सी0 दिनांक 10 जनवरी, 2005, शासनादेश संख्या–417/21–89–1–1980 दिनांक 7–10–1989, शासनादेश संख्या–4865 /21–90–1–(2)/90 दिनांक 19 नवम्बर,1990, शासनादेश संख्या–980 /21–1–99–1(4)/98 टी0सी0 दिनांक 16 मार्च, 1999, शासनादेश संख्या–981 /21–1–99–1(4)/98 दिनांक 16 मार्च, 1999 एवं शासनादेश संख्या–462 /21–1–2008–सा–1(4)/98 टी0सी0 दिनांक 10 जनवरी, 2005 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त आदेशों के बावजूद विनिर्दिष्ट सरकारी कार्यों में द्वितीय राजभाषा उर्दू के प्रयोग की स्थिति संतोषजनक परिलक्षित नहीं हो रही । अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु द्वितीय राजभाषा उर्दू के प्रयोग के संबंध में जारी किये गये उक्त आदेशों का निष्ठापूर्वक प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

भवदीय,

अशोक घोष
प्रमुख सचिव

संख्या– (1)/21–1–2008–सा–1(41)/98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
(2) प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
(3) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
(4) निबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
(5) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद ।
(6) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
(7) उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(भवनाथ)
विशेष सचिव